

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त 2024—श्रावण 19, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2024

क्र. 12208-152-इक्कीस-अ(प्रा).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक 9 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति, "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 10 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की द्वितीय अनुसूची में,-

(१) भाग एक में, अनुक्रमांक ३ और ४ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	इंदौर	इंदौर, धार तथा झाबुआ.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना तथा भिण्ड.

(२) भाग दो में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
४.	क्रातिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन	खरगोन	खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी तथा अलीराजपुर.
५.	क्रातिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना	गुना	गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी .

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक २ सन् २०२४) एतद्वारा, निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम, के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2024

क्र. 12208-152-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 12 of 2024

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (DWITIYA SANSHODHAN)

ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2024.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2024. **Short title and commencement.**
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. In the Second Schedule of the Madhya Pradesh, Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973,- **Amendment of Second Schedule.**
 - (1) in Part I, for serial number 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Indore	Indore, Dhar and Jhabua.
4.	Jiwaji Vishwavidyalaya, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Datia, Sheopur, Morena and Bhind.";

(2) in Part II, after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Krantisurya Tantya Bhil Vishwavidyalaya, Khargone	Khargone	Khargone, Khandwa, Burhanpur, Badwani and Alirajpur.
5.	Krantivir Tatyā Tope Vishwavidyalaya, Guna	Guna	Guna, Ashoknagar and Shivpuri.”.

Repeal and Saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (No. 2 of 2024) is hereby repealed.

2. Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.